सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

(60)

पत्रांक 1673/मंत्री/का० दिनांक 27.2-18

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

विषय :– पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत गुआ–सलाई पथ निर्माण मे अनियमितता पर कारवाई के बारे में.

महाशय,

२० दिन पहले दिनांक 7.2.2018 को मैने एक अनुरोध पत्र आपको भेजा था. यह पत्र पश्चिम सिहभूम जिला अंतर्गत "गुआ– सलाई पथ" निर्माण में अनियमितता के लिये दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कारवाई करने के संबंध में था. ऐसी कारवाई के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष शक्तियों वाले न्यायाधिकरण ने विभिन्न तिथियों पर निर्देश दिया है. न्यायाधिकरण के ऐसे कतिपय न्यायिक निर्देशों को मैने पत्र मे उद्धृत किया था. मुझे लगता है कि मेरे पत्र की विषय वस्तु पर गौर करने का समय आपको नहीं मिला है. अतः पुनःस्मारित कर रहा हूँ. साथ में विभिन्न तिथियों पर न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णयों की प्रतियाँ भी संलग्न कर रहा हूँ ताकि विचार हेतु आपके समक्ष पर्याप्त जानकारी रहे. प्रतीत होता है कि 2007 में इसी जिलांतर्गत हाट गम्हरिया– बराईबुरू पथ के निर्माण से जो अनियमितताएं आरम्भ हुई थीं वे गुआ–सलाई पथ निर्माण आरम्भ होने तक संस्थात्मक स्वरूप अख्तियार कर चुकी हैं.

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में तथ्य पर सम्यक् विचार कर बिना विलम्ब किये कारवाई सुनिश्चित करेंगे.

सादर,

सरयू राय

अनुलग्नक :– 7.2.2017 को प्रेषित पत्र की छाया प्रति.
ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा विभिन्न तिथियों पर पारित प्रासंगिक आदेशों की प्रतियाँ

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2482455, फैक्स : 0651-2401023, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner